अनुदान संख्या 57 – स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	97585,76,00		102597,83,00	87520,83,50	-15076,99,50
पूरक	Supplementary	5012,07,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3909,29,70

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹1507699.50 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹501207.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹1507699.50 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹501207.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	2107851.00	2781504.25	1872323.40	-909180.85
पू.	S.	501201.00			
पु.	R.	172452.25			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	517678.00			
पू.	S.	2.00	2.00	..	-2.00
पु.	R.	-517678.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7086333.00			
पू.	S.	2.00	6972742.64	6765035.41	-207707.23
पु.	R.	-113592.36			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	44224.00			
पू.	S.	2.00	111937.77	112058.09	+120.32
पु.	R.	67711.77			

(I) ₹1437370.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1436037.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "आरक्षित निधि / जमा लेखा को अंतरण" –

(I) Provision of ₹1437370.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under thirty seven heads; of these ₹1436037.00 lakhs accounted for under following Major Heads:

(A) Major Head "2202" -

(a) "Secondary Education" -

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account"-

(1) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹400000.00 लाख वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार निधि का प्रचालन न होने के कारण थे।

(2) "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को निधि अंतरण के लिए निधियां" – ₹506102.00 लाख – लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से निधि का अंतरण नहीं किए जाने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – ऑपरेशन डिजीटल बोर्ड" – ₹2500.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा – गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता" –

(i) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹31106.45 लाख (₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹36800.45 लाख (₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियाँ" – ₹2886.00 लाख;

(ग) "प्रारंभिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और व्यस्क शिक्षा" – ₹2728.00 लाख;

(घ) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(1) "Funds for transfer to National Investment Fund" - ₹400000.00 lakhs - due to non-operation of the fund as per directions of Ministry of Finance.

(2) "Funds for transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)" - ₹506102.00 lakhs - due to non-transfer of fund owing to non-finalisation of accounting procedure.

(b) "Other Expenditure - Operation Digital Board" - ₹2500.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(B) Major Head "2552"-

(a) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹31106.45 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.45 lakh);

(ii) "Samagra Shikha - Secondary Education" - ₹36800.45 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.45 lakh);

(b) "Secondary Education - Scholarships - Scholarships" - ₹2886.00 lakhs;

(c) "Elementary Education - Teachers Training - National Education Mission - Teachers Training and Adult Education" - ₹2728.00 lakhs;

(d) "Elementary Education - Other Expenditure" -

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹70700.00 लाख;

(ii) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹1200.00 लाख;

(iii) "समग्र शिक्षा" – ₹161260.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – पढ़ना–लिखना अभियान" – ₹704.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹900.00 लाख;

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹19000.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹3749.30 लाख (₹0.30 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(iv) "छात्रवृत्तियां" – ₹1046.00 लाख;

(v) "समग्र शिक्षा" – ₹26362.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹872.00 लाख;

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹ 70700.00 lakhs;

(ii) "Umbrella Programme for Development of Minorities" - ₹1200.00 lakhs;

(iii) "Samagra Shiksha" - ₹161260.15 lakhs; (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(e) "Adult Education - Other Adult Education Programme - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹704.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education" - ₹900.00 lakhs;

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure" - ₹19000.00 lakhs;

(iii) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹3749.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(iv) "Scholarships" - ₹1046.00 lakhs;

(v) "Samagra Shiksha" - ₹26362.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(g) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education" - ₹872.00 lakhs;

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹16300.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹2007.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "समग्र शिक्षा" – ₹138828.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(v) "छात्रवृत्तियां" – ₹750.00 लाख

उपर्युक्त अठारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" –

(क) "केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें" –

(i) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पढ़ना लिखना अभियान" – ₹3723.00 लाख;

(ii) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – समग्र शिक्षा" – ₹4000.00 लाख;

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पढ़ना लिखना अभियान" – ₹1856.00 लाख; और

(iv) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पढ़ना लिखना अभियान" – ₹656.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Elementary Education - Other Expenditure" - ₹16300.00 lakhs;

(iii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹2007.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);

(iv) "Samagra Shiksha" - ₹138828.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

(v) "Scholarships" - ₹750.00 lakhs.

Provisions under the above eighteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes" -

(i) "Central Assistance/Share - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹3723.00 lakhs;

(ii) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Samagra Shiksha" - ₹4000.00 lakhs;

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹1856.00 lakhs; and

(iv) "Tribal Area Sub-Plan - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹656.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" –

(i) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता" – ₹1776.45 लाख की बचत (₹3110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने तथा कम विज्ञापन के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय घटक" – ₹1747.97 लाख की बचत (₹2340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा" – ₹11336.94 लाख की बचत (₹25349.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औपचारिकताएं पूरी न करने की वजह से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने तथा औपचारिकताएं पूरी न होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "समग्र शिक्षा" – ₹692.07 लाख की बचत (₹1143.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के करण हुई।

(ii) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹686.36 लाख की बचत

(II) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education" -

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" -

(i) "Assistance to Union Territories without legislature" - saving of ₹1776.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3110.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the UTs of Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and less advertising.

(ii) "National Component" - saving of ₹1747.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2340.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(b) "Samagra Shiksha - Samagra Shiksha"- saving of ₹11336.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25349.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the UTs of Jammu & Kashmir, Ladakh, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu owing to non-completion of formalities and economy measures.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Samagra Shiksha" - saving of ₹692.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1143.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(ii) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools"- saving of ₹686.36

(₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹724.75 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(ii) "समग्र शिक्षा" – ₹1170.19 लाख की बचत (₹3776.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹2961.46 लाख की बचत (₹26170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹3156.96 लाख (₹10778.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बच्चियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम के संचालन न होने की वजह से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

(ग) "समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा" – ₹1162.99 लाख की बचत (₹3414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹2036.77 लाख की बचत (₹5190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय –

lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹724.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance and less receipt of viable proposals.

(ii) "Samagra Shiksha" - saving of ₹1170.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3776.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(B) "Secondary Education" -

(a) "Scholarships - Scholarships" - saving of ₹2961.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26170.00 lakhs); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarships" - saving of ₹3156.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10778.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals owing to non-operation of the scheme incentives to Girl child.

(c) "Samagra Shiksha - Samagra Shiksha"- saving of ₹1162.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3414.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(d) "Tribal Area Sub-Plan-Scholarships"- saving of ₹2036.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5190.00 lakhs)

साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और बच्चियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम के संचालन न होने की वजह से हुई।

was due to less receipt of proposals for National-Means-Cum-Merit scholarship and non-operation of scheme incentives to Girl child.

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय" – ₹579.71 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने और अन्य स्थापना संबंधित व्ययों की वजह से हुई।

(C) "Adult Education - Direction & Administration - Directorate of Adult Education" - saving of ₹579.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/ Share"-

(क) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹3693.94 लाख की बचत (₹10788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) "Umbrella Programme for Development of Minorities"- saving of ₹3693.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10788.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(ख) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹7864.49 लाख की बचत (₹676350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(b) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹7864.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹676350.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and availability of unspent balance.

(ग) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹29741.36 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1916515.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षकों की शिक्षा के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(c) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹29741.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1916515.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less receipt of viable proposals for Elementary Education and Teachers Education from the State Governments of West Bengal, Punjab, Maharashtra.

(घ) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹47851.25 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹306909.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(d) "Samagra Shiksha - Secondary Education" - saving of ₹47851.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹306909.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to less receipt of viable proposals.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹13897.65 लाख की बचत (₹197750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और अव्ययित राशि की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹13897.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹197750.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and availability of unspent balance.

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹87538.69 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹600365.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹87538.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹600365.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(ग) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹31333.81 लाख की बचत (₹94965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Samagra Shiksha - Secondary Education"- saving of ₹31333.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94965.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत आवर्ती अनुदानों और निर्माण कार्यकलापों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals under recurring grants and construction activities.

(गा) "आरक्षित निधि/जमा लेखों का अंतरण – प्रारंभिक शिक्षा कोष को निधि के लिए अंतरण" – ₹207176.03 लाख की बचत (₹2892011.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र शिक्षा और मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत खर्चों पर आधारित निधियों के कम अंतरण होने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" - saving of ₹207176.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2892011.00 lakhs) was due to less transfer of funds based on expenses under Scheme of Samagra Shiksha and Mid-Day-Meal.

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹1280.53 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹1280.53 lakhs (against

तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹384627.05 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹7.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹149322.57 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹149322.60 लाख था।

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान" – ₹37799.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹37798.70 लाख था।

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹13640.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13639.70 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें "–

(क) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹109577.99 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹109484.95 लाख था।

the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and availability of unspent balance.

2.(I) The above savings were partly (₹384627.05 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹7.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Secondary Education" -

(i) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools- Grants to Autonomous Bodies"- ₹149322.57 lakhs. Actual excess, however, was ₹149322.60 lakhs.

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes" - Grants to Autonomous Bodies- ₹37799.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹37798.70 lakhs.

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies" - ₹13640.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13639.70 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Samagra Shiksha- Elementary Education" - ₹109577.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹109484.95 lakhs.

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹4682.72 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹40659.97 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹40659.56 लाख था।

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹12253.88 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12253.48 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹4440.02 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4439.65 लाख था।

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1026.90 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1026.50 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹9324.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9323.85 लाख था।

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1900.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1899.70 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" के अंतर्गत

(ii) "Samagra Shiksha- Secondary Education" - ₹4682.72 lakhs.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/ Share" -

(i) "Samagra Shiksha- Elementary Education" - ₹40659.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹40659.56 lakhs.

(ii) "Samagra Shiksha - Secondary Education" - ₹12253.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹12253.48 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Samagra Shiksha- Elementary Education"- ₹4440.02 lakhs. Actual excess, however, was ₹4439.65 lakhs.

(ii) "Samagra Shiksha- Secondary Education" - ₹1026.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹1026.50 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Samagra Shiksha- Elementary Education" - ₹9324.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9323.85 lakhs.

(ii) "Samagra Shiksha- Secondary Education" - ₹1900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1899.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - National Programme of Mid-

अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹4364.96 लाख का अधिक व्यय (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तात्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय "सर्व शिक्षा अभियान" और "मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता से व्यय किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्त पोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2019–20 में ₹28920.11 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2019–20 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

Day Meals in Schools" - excess of ₹4364.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. Prarambhik Shiksha Kosh

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Sarva Shiksha Abhiyan" and "Mid-Day Meal Scheme" Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹28920.11 crores was made in the Union Budget 2019-20 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2019-20 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2019–20 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for the year 2019-20 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipt	26848,34,97
अदायगियां	Payments	26848,34,97
अंतशेष	Closing Balance	2242,89,63